रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-14122023-250660
CG-HR-E-14122023-250660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]	**नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2023/अग्रहायण 22, 1945**
No. 710]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2023/AGRAHAYANA 22, 1945**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 893(अ).—घी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1991 तक संशोधित घी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1938 के मूल नियम की उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो, या किए जाने का लोप किया गया था, बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जबसे भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना निहित है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आपत्तियों अथवा सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

उपर्युक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियाँ अथवा सुझाव यदि कोई हों, तो वह कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा) 121001 को अग्रेषित किए जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ -(1) इन नियमों का नाम घी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 है।

(2) ये दूध या दुग्ध वसा उत्पादों जैसे मक्खन या क्रीम या सम्मिश्रण से निर्मित घी पर लागू होंगे।

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) परिभाषाएं:- इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम'' से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) ''कृषि विपणन सलाहकार'' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकृत पैकर'' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों एवं साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार घी का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;

(घ) ''प्राधिकार प्रमाण पत्र'' से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा घी के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;

(ङ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(च) "श्रेणी अभिधान चिह्न'' से नियम 3 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक चिह्न" अभिप्रेत है;

(छ) "विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है एवं;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम अथवा नियम में हैं;

3. श्रेणी अभिधान चिह्न -: श्रेणी अभिधान चिह्न में "एगमार्क प्रतीक चिह्न" का डिज़ाइन होगा जो अनुसूची-I में निर्धारित डिज़ाइन के सदृश्य होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण पत्र संख्यांक, शब्द 'एगमार्क', वस्तु का नाम और श्रेणी शामिल होंगे परंतु टिन की पैकिंग पर एगमार्क प्रतीक वाली कागज की पर्ची के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों को दी जाएगी जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अथवा विनिर्दिष्ट के अनुसार समय-समय पर ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई हो।

4. श्रेणी अभिधान -: घी की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट मापदंड के अनुसार होंगे।

5. गुणवत्ता :- इन नियमों के प्रयोजनार्थ, घी की गुणवत्ता अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

6. पैकिंग करने की विधि: (1) घी को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार समुचित पैंकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

(2) समान लॉट अथवा बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का घी होगा ।

(4) प्रत्येक पैकेज को उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके तथा उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिकृति संख्या अंकित की जाएगी।

7. **चिह्नांकन की विधि :** (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार पैकेजिंग पर उपयुक्त रूप से घी को चिह्नांकित किया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

(ग) ट्रेड नाम (वैकल्पिक);

(घ) लॉट अथवा बैच संख्या;

(ड़) पैकिंग की तारीख*;

(च) पोषण संबंधी जानकारी;

(छ) शुद्ध भार;

(ज) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;

(झ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी कर सहित);

(ञ) ....माह....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;

(ट) भंडारण की स्थिति, यदि कोई हो;

(ठ) विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 या खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी अधिसूचना अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किन्हीं अनुदेशों के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण बशर्ते पैकेजों पर चिहनाकंन करने के लिए सही गुणवत्ता की स्याही का प्रयोग किया जाए।

*पैकिंग की तारीख नमूने के विश्लेषण के पूरा होने की तारीख होगी।

(3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अंतर्गत श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित कर सकता है, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने की विशेष शर्तें: साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर इन नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा ।

(1) कच्चे दूध के संपूर्ण विश्लेषण, दूध की गुणवत्ता निर्धारित करने तथा परिरक्षकों, गन्ना चीनी, यूरिया, कास्टिक सोडा, स्टार्च, वनस्पति तेल आदि जैसी संभावित मिलावट का पता लगाने के लिए परिसर में ही प्रयोगशाला होनी चाहिए। घी के निर्धारित मापदंडों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला पूरी तरह से सुसज्जित होनी चाहिए। घी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए इस प्रयोगशाला का प्रबंधन साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जाएगा।

(2) निर्माण की प्रक्रिया ऐसी होगी कि घी की आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखा जा सके जिसे किसी भी समय 110° सेल्सियस से अधिक गर्म नहीं किया जाएगा।

(3) प्राधिकृत पैकर द्वारा इन नियमों के अंतर्गत घी का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए अनुमोदित किए गए रसायनज्ञ को सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं और सहायता दी जाएंगी ।

(4) प्राधिकृत पैकर दूध, दुग्ध वसा और घी की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उचित रिकॉर्ड रखेगा। सभी रिपोर्ट विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा यथा निर्दिष्ट निर्धारित प्रोफार्मा में समयसमय पर प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) घी के प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राधिकृत पैकर के परिसर को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा और इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी , संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(6) प्राधिकृत पैकर के परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृतकों और कीटों से मुक्त होगा ।

(7) जिस परिसर में घी का निर्माण या प्रसंस्करण किया जाता है, वहां घी के अलावा कोई वसा या तेल नहीं होना चाहिए तथा कोई कृत्रिम स्वाद या रंग भी नहीं होना चाहिए।

(8) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ द्वारा परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन किया जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए हों ।

(i) आवश्यक न्यूनतम बुनियादी ढांचा - घी के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीए) केवल उन्हीं पार्टियों को ही दिया जाएगा जो नीचे उल्लिखित अपेक्षित न्यूनतम बुनियादी ढांचे/सुविधाओं के साथ डेयरी संयंत्रों में दूध से घी का निर्माण करते हैं:

(ii) भवन/बुनियादी ढांचा स्थायी प्रकृति का होगा जिसका उचित रख-रखाव किया जा रहा हो तथा जिसमें सपाट, समतल, दरार रहित फर्श हो ।

(iii) पर्याप्त जल आपूर्ति, जल निकासी व्यवस्था और बिजली का प्रावधान होना चाहिए।

(iv) पैक्ड घी के भंडारण के लिए अलग कमरे होंगे।

(v) दूध से घी बनाने के लिए डेयरी संयंत्रों के लिए भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य ढांचागत/तकनीकी आवश्यकताएँ ।

अनुसूची I

(नियम 3 देखें)

(एगमार्क प्रतीक चिह्न का डिजाइन)

वस्तु का नाम......................

श्रेणी..

अनुसूची II

(नियम 4 और 5 देखें)

घी का श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता

1. घी का निर्माण दूध या दुग्ध वसा उत्पादों जैसे मक्खन या क्रीम या सम्मिश्रण से एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप पानी और दूध के वसारहित ठोस पदार्थ, लगभग पूरी तरह से निकल जाएँ।
2. न्यूनतम अपेक्षाएं : (1) घी में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी -
   क. स्पष्ट दुग्ध वसा होगा और 40 डिग्री सेल्सियस पर साफ़ एवं पारदर्शी होगा;
   ख. प्राकृतिक, मधुर गंध और अच्छे स्वाद से युक्त होगा;
   ग. बासीपन, अप्रिय गंध, गंदगी, निलंबित अथवा अघुलनशील पदार्थ अथवा अन्य किसी विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;
   घ. पृथक्कृत जल, तलछट जमाव, योजित रंजक पदार्थ और किसी भी तरह के अन्य गंधयुक्त पदार्थ से मुक्त होगा;
   ङ. कृत्रिम तेल/वसा, खनिज तेल और पशु वसा (दुग्ध वसा के अलावा) से मुक्त होगा;
   च. फीनॉलफ्थेलिन परीक्षण नकारात्मक होगा।

(2) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं अथवा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन अधिसूचित किसी भी अन्य विनियम का अनुपालन करेगा।

(3) निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं और कीटनाशकों की अवशिष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:

तालिका-1

श्रेणी अभिधान	वजन के अनुसार नमी का प्रतिशत (से अधिक नहीं)	दुग्ध वसा, न्यूनतम % (द्रव्यमान अनुसार)	ब्यूटिरो-रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 40°सेल्सियस पर	रीचर्ट मीसल मान, न्यूनतम	पोलेंस्के मान	ओलिक एसिड के रूप में एफएफए, अधिकतम, %	बोदोईं परीक्षण	आयोडीन मान	साबुनीकरण मान	β-सिटोस्टेरॉल की उपस्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विशेष	0.30	99.70	40.0 से 43.0	28	1.0-2.0	1.0	नकारात्मक	25-38	205-235	नकारात्मक

मानक	0.30	99.70	40.0 से 43.0	26	1.0-2.0	1.5	नकारात्मक	25-38	205-235	नकारात्मक
सामान्य	0.50	99.50	40.0 से 44.0	24	0.5-2.0	2.0	नकारात्मक	25-38	205-235	नकारात्मक

4. विशेष शर्त - घी को गाय का घी घोषित किया जा सकता है, यदि इसे गाय के दूध से प्राप्त दुग्ध वसा, मक्खन या क्रीम से निर्मित किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पैकर दूध की खरीद का उचित रिकॉर्ड रखेगा।

5. इन नियमों के अंतर्गत आने वाला घी खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य), विनियम 2011 के अनुसार फैटी एसिड संरचना का अनुपालन करेगा।

6. अतिरिक्त अपेक्षाएं- (i) घी की पैकिंग ऐसी होगी कि वह –

(क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके;

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) घी का भंडारण ठंडे और शुष्क स्थान पर किया जाएगा तथा इसे उचित स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जाएगा।

[फा. सं. क्यू11047/03/घी/2022-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2023

G.S.R. 893(E).—the following draft of the Ghee Grading and Marking Rules, 2023 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in supersession of the principal rule of Ghee Grading and Marking Rules, 1938, amended upto1991 except as respect things done or omitted to be done before such supersession is hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the above said period shall be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, in respect of the said draft rules, may be forwarded to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

DRAFT RULES

1. **Short title, application and commencement.-**(1) These rules shall be called the Ghee Grading and Marking Rules, 2023.

   (2) They shall apply to Ghee manufactured from milk or milk fat products like butter or cream or combination.

   (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

   (b) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

   (c) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark Ghee in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules and the General Grading and Marking Rules, 1988;

   (d) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Ghee with the Grade Designation Mark;

(e) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(f) "Grade Designation Mark" means ''AGMARK Insignia'' referred to in rule 3;

(g) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meaning as are assigned to them under the said Act or rules.

3. Grade designation mark.-The grade designation mark shall consist of the design of "AGMARK Insignia" as set out in Schedule-I, incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of the commodity and its grade provided that the use of Agmark Replica paper slip shall be allowed only for tin packing for such authorised packers who have been granted the permission by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised in this regard or as may be specified from time to time.

4. Grade designations.- The grade designations to indicate the quality of Ghee including the criteria for grade designation shall be as set out in Schedule-II.

5. Quality.- For the purpose of these rules, the quality of Ghee shall be as provided in Schedule-II.

6. Method of packing. -(1) Ghee shall be packed in suitable packaging material in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.

(2) The graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with the Grade Designation Mark.

(3) Each package shall contain Ghee of the same type and of the same grade designation.

(4) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling and marked with replica numbers issued by the competent authority.

7. **Method of Marking.-**(1) The Grade Designation Mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules. Ghee shall be marked suitably on packaging in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020.

(2) In addition to the Grade Designation Mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely-

(a) name of the commodity;

(b) grade;

(c) trade name(optional);

(d) lot/batch number;

(e) date of packing*;

(f) nutritional information;

(g) net weight;

(h) name and address of the authorised packer;

(i) maximum retail price (inclusive of all taxes);

(j) BEST BEFORE _______MONTH ______YEAR;

(k) storage condition, if any

(l) any other particulars as provided under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or specified under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 or any notification issued under any other law for the time being in force or any instructions issued under the provisions of the Act, provided that right quality of ink is used for marking on packages.

*** The date of packing shall be the date of completion of the analysis of the sample.**

(3) The authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the Grade Designation Mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions for grant of Certificate of Authorisation. - In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall comply the conditions specified under these rules.

(1) The premises should have in house laboratory for complete analysis of raw milk, for determining quality of milk and detecting possible adulterants such as preservatives, cane sugar, urea, caustic soda, starch, vegetable oil, etc. The laboratory should also be fully equipped for the analysis of ghee for prescribed parameters. The laboratory shall be manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 9 of the General Grading and Marking Rules for testing the quality of Ghee.

(2)The process of manufacture shall be such as to retain the essential characteristics of the ghee which shall not be heated at any time over 110°C.

(3) The authorised packer shall provide all necessary facilities and assistance to the approved chemist for carrying out the grading and marking of Ghee under these rules.

(4) The authorised packer shall maintain proper record of analytical reports of milk, milk fat and ghee. All the reports shall be submitted periodically in prescribed proforma as specified by Directorate of Marketing and Inspection.

(5) The premises of the authorized packer used for processing and packing of Ghee shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilation and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(6) The premises of the authorized packer shall have adequate storage facilities with pucca floor, free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.

(7) There shall be no fat or oil other than ghee or any artificial flavoring or coloring matter in the premises where ghee is manufactured or processed.

(8) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing, maintenance of records, which may be issued from time to time under the provisions of the Act.

9. Minimum infrastructure requirement - Certificate of Authorization (CA) for ghee shall be granted only to the parties who manufacture ghee from milk in dairy plants with requisite minimum infrastructure/facilities like:

(i) The building/infrastructure shall be permanent in nature and maintained properly with smooth, plain, cracks and crevices free flooring.

(ii) There should be provision for adequate water supply, drainage system and power.

(iii) There shall be separate rooms for storing packed ghee.

(iv) Other infrastructural/technological requirements as specified by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India for dairy plants to manufacture ghee from milk.

SCHEDULE I

(See rule 3)

(Design of Agmark Insignia)

Name of commodity …………………

Grade………………………………….

SCHEDULE II
(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of Ghee

1. Ghee shall be manufactured from milk or milk fat products like butter or cream or combination by means of a process which results in almost total removal of water and milk solids-not-fat.
2. Minimum requirement: (1) Ghee shall-
   (a) be clarified milk fat and clear and transparent at 40°C;
   (b) have natural, pleasant odor and agreeable taste;
   (c) be free from rancidity, obnoxious smell, turbidity, suspended or insoluble matter or any other foreign matter;
   (d) be free from separated water, sedimentations, added coloring matter and any other flavoring substances;
   (e) be free from synthetic oil/fat, mineral oil and animal fat (other than milk fat);
   (f) the phenolphthalein test shall be negative.

   (2) for domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

   (3) For export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for export.
3. Criteria for grade designation:

TABLE-1

Grade Designation	Moisture Percent by Weight (not more than)	Milk fat, minimum% (m/m)	Butyro-refractometer Reading at 40 ˚C	Reichert Meissl Value, minimum	Polenske Value	FFA as Oleic Acid, maximum, %	Baudouin Test	Iodine Value	Saponifi-cation value	Presence of β-sitosterol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Special	0.30	99.70	40.0 to 43.0	28	1.0-2.0	1.0	Negative	25-38	205-235	Negative
Standard	0.30	99.70	40.0 to 43.0	26	1.0-2.0	1.5	Negative	25-38	205-235	Negative
General	0.50	99.50	40.0 to 44.0	24	0.5-2.0	2.0	Negative	25-38	205-235	Negative

4. Special Condition - The ghee may be declared as Cow Ghee, if it is manufactured from milk fat or butter or cream derived from cow milk. For this purpose the authorised packer shall maintain proper record of milk procurement.
5. The ghee covered under these rules shall comply with the fatty acid composition as per Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives), Regulations 2011.
6. Additional requirements - (i) The packing condition of the Ghee shall be such as to enable it-
   (a) to withstand transport and handling;
   (b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

   (ii) Ghee shall be stored in a cool, dry place and properly maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No.-Q-11047/03/Ghee/2022-Std]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA